



न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

मनरमा मण्डल वर्गेट बनाम गौरपट्ट मण्डल वर्गेट

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
23-02-18	<p>अभिलेख सं०-एम.....16...../2018 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी <u>सुनापुत्र राई ओपी०</u> के अप्राथमिकी सं०-05/18 दिनांक-11/02/18 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>रामि विवाद की लैकड उभय पक्ष में वगाव है।</u></p> <p>जिससे संग्रामना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उरारो/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 16-03-18 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं रांशोधित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> </div>	
16-03-18	<p><u>पीठा खीन पदाधिकारी का पंचायत सुनार कार्य में वगाव। दिनांक 02-04-18 के शर्तों।</u></p>	

दिने अगली तिथि दिनांक 17-12
18 को रखें।


17/12/18

17-12-18

आमि लैरन उपस्थापित । प्रथम पत्र
क्रमांक 01, 02 उपस्थित अन्य अनुपस्थित
द्वितीय पत्र क्रमांक 02 उपस्थित अन्य
~~अनुपस्थित~~ अधिवक्ता हाजरी । प्रथम पत्र
ममसा मण्डल से परिणत एवं प्रति-
परिणत लिया गया तथा गवाही से
मुक्त किया गया । प्रथम पत्र गवाही
बन्द की जाती है । द्वितीय पत्र गवाही
दिने दिनांक 18-01-19 को रखें।


17/12/18

18-01-19

आमि लैरन उपस्थापित । प्रथम
पत्र अधिवक्ता हाजरी द्वितीय पत्र
क्रमांक 02 उपस्थित अन्य अनुपस्थित

9

पृष्ठ सं०-

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

उक्त वाद के 6 (छः) माह की
अवधि पूरी हो चुकी है अर्थात्
वाद कालबाधित हो गया है।
अतः वाद के अन्तिमकरण की
कारवाही बन्द की जाती है।


18/11/19